अनुसूची 14– फारम सं. 612

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी.......................संख्या.................31/16–17................सन् 2016–17

केश का प्रकार ...श्री राम बहादुर यादव–02, पंचायत सचिव, प्रखण्ड–झंझारपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन।

आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
24/5/17	जिला पदाधिकारी, मधुबनी का आदेश ज्ञापांक–18/जि0पंचा0दिनांक–07.01.2017 द्वारा श्री राम बहादुर यादव–02, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत राज काको एवं संतनगर के विरूद्ध वर्तमान वर्ष में बी0पी0एल0और अन्त्योदय लाभार्थियों को कूपन वितरण में शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रपत्र–'क' की प्रति आरोपी कर्मी को उपलब्ध कराते हुये स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकरी से मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त मंतव्य पर आरोपी कर्मी का अनापत्ति आवेदन प्राप्त किया गया। वस्तु–स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी:– **प्रपत्र–"क"के अनुसार आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप–** **<u>कूपन वितरण में शिथिलता:–</u>** सरकार का यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। क्षेत्र के प्रत्येक बी0पी0एल0और अन्त्योदय लाभार्थी को कुपन के माध्यम से खाद्यान्न सामग्री वितरण कराने हेतु निदेश प्राप्त था। प्राप्त निदेश के आलोक में सरकारी स्तर पर कार्यालय में ससमय कुपन उपलब्ध कराया जा चुका था। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक–1435 दिनांक 17.11.2016 द्वारा आपको कुपन वितरण करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। परन्तु आपके स्तर से शिथिलता ही नहीं बल्कि सरकार के महत्वाकांक्षीयोजनाओं को विफल करने का प्रयास किया गया जो स्वीकार योग्य नहीं है। जबकि साप्ताहिक बैठक में बार–बार आपको कुपन वितरण ससमय करने हेतु निदेशित यि गया बावजूद भी आपके द्वारा वितरण में आनाकानी की जा रही थी। पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–1541/दिनांक 03.12.2016 से कुपन वितरण हेतु निदेशित किया गया था परन्तु आपके द्वारा सरकारी अनुदेश/निदेश के साथ ही अपने वरीय पदधिकारी के आदेश का उल्लंघन कियागया है एवं आपके द्वारा किये गये कृत्य से क्षेत्र के आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा हैं इस तरह आपका यह कृत्य आपके स्वेच्छाचारिता कार्य के प्रति उदासीनता एवं कर्त्तव्यहीनताको परिलक्षित करता है। **आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण:–** प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर के द्वारा उन्हें दो पंचायत काको और संतनगर का प्रभार मिला। दोनों पंचायत का कूपन वितरण कार्य उन्हें ही करना था। सर्व–प्रथम संतनगर पंचायत का कूपन वितरण किये। तत्पश्चात् काको पंचायत का कूपन वितरण किये। दिनांक 10.12.2016 को पी0एच0एच0 कूपन, अन्त्योदय कूपन और किरासन तेल कूपन का वितरण कर अभिश्रव प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी झंझारपुर में जमा कर दिये जिसका प्राप्ति रसीद संलग्न। अतः आरोप से मुक्त करने का अनुरोध आरोपी कर्मी ने किया। **आरोपी कर्मी के स्पष्टीकरण पर उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर का मंतव्य:–** 1– पत्रांक–444 दिनांक– 16.3.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया कि श्री राम बहादुर यादव–02, पंचायत सचिव को कूपन वितरण हेतु निम्न प्रकार तिथि निर्धारित की गयी:–	

1-- काको-		10.12.2016
2-- संतनगर--		10.12.2016

2-- पत्रांक-645 दिनांक 27.4.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रपत्र-"क"गठन के पश्चात् पंचायत सचिव द्वारा वितरण प्रतिवेदन कार्यालय में जमा कर दिया गया है। उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया गया।

उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी झंझारपुर के मंतव्य पर आरोपी कर्मी की ओर से कोई आपत्ति नहीं दी गयी।

संचालन पदाधिकारी का अधिगमः-

आरोपी कर्मी के विरूद्ध मुख्य आरोप है कि कूपन वितरण में विलम्ब किया गया। जिसके खण्डन में आरोपी कर्मी का कथन है कि दो पंचायत उन्हें आवंटित था सर्व-प्रथम संतनगर पंचायत का कूपन वितरण किये। तत्पश्चात् काको पंचायत का कूपन वितरण किये। दिनांक **10.12.2016** को पी0एच0एच0 कूपन, अन्त्योदय कूपन और किरासन तेल कूपन का वितरण कर अभिश्रव प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी झंझारपुर में जमा कर दिये। उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर ने भी पत्रांक-645 दिनांक-27.4.2017 में लिखा है कि प्रपत्र-"क"गठन के पश्चात् पंचायत सचिव द्वारा वितरण प्रतिवेदन कार्यालय में जमा कर दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः-

आरोपी कर्मी को दो पंचायत आवंटित था दोनों पंचाायत का कूपन वितरण कार्य उन्हें ही करना था। स्पष्टीकरण में लिखा है कि सर्व-प्रथम संतनगर पंचायत का कूपन वितरण किये। तत्पश्चात् काको पंचायत का कूपन वितरण किये। दिनांक 10.12.2016 को पी0एच0एच0 कूपन, अन्त्योदय कूपन और किरासन तेल कूपन का वितरण कर अभिश्रव प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी झंझारपुर में जमा कर दिये जिसका प्राप्ति रसीद संलग्न। उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर का मंतव्य है कि प्रपत्र-"क"गठन के पश्चात कूपन वितरण प्रतिवेदन पंचायत सचिव द्वारा कार्यालय में जमा कर दिया गया है। उपस्थापन पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के मंतव्य के आधार पर आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया।

अधिगम/जॉच प्रतिवेदन से संबंधित मूल अभिलेख जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को भेजें। अधिगम की छाया प्रति जिला पदाधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ भेजें।

लेखापित

संचालन पदाधिकारी-सह-
अपर समाहर्ता, मधुबनी।

संचालन पदाधिकारी-सह
अपर समाहर्ता, मधुबनी।